बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

आदेश

तकनीकी संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं में अध्ययनरत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र–छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के मूल्यांकन एवं छात्रवृति के त्वरित हस्तान्तरण की कार्रवाई के गहन अनुश्रवण (Robust Monitoring) हेतु एक प्रायोजन प्रबंधन कोषांग का गठन निम्न रूप से किया जाता है:–

1. श्री शिव नारायण सिंह, उप सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग बिहार, पटना इस कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
2. श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ), अपने कार्यो के अतिरिक्त प्रायोजन प्रबंधन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।
3. इस कोषांग में सहयोग हेतु निम्नलिखित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को इस कार्य के समाप्ति तक प्रतिनियुक्त किया जाता है:–
   1–श्री समीर कुमार सुमन, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, कैमूर।
   2–श्री रवि कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, कैमूर।
   3–श्री अजय कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, रोहतास।
   4–श्री अरूण कुमार प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, पटना।
   5–श्री अजय कुमार सिन्हा, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, बक्सर।
   6–श्री मुकेश कुमार सिंह, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, मोहनियाँ, कैमूर।
4. इस कोषांग के लिए दो टेलिफोन उपलब्ध कराया जायगा, जो निरन्तर कार्य समाप्ति तक कार्य करेगा।
5. यह कोषांग निदेशालय के पाँचवें तल्ले पर स्थित सभा कक्ष में कार्य करेगा।
6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
7. प्रस्ताव में सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

निदेशक।

ज्ञापांक–5/निदे0 03–06/2014 – 58 पटना, दिनांक–07-01-2015

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/श्री शिव नारायण सिंह, उप सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग बिहार पटना/श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर, (भभुआ)/सभी संबंधित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापांक–5/निदे0 03–06/2014 – 58 पटना, दिनांक–07-01-2015

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/विशेष सचिव, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक(मु0), अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/सभी सहायक निदेशक को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक।